राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,
भारत सरकार,
नई दिल्ली।

12 जनवरी, 2018

प्रेस विज्ञप्ति

आपदा प्रतिरोधक क्षमता से पूर्ण आधारभूत संरचनाओं पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला
15 -16 जनवरी , 2018
अशोक होटल, नई दिल्ली

आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना और वैश्विक सहयोग को आगे ले जाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और संयुक्त राष्ट्र के आपदा जोखिम कार्यालय ने मिलकर होटल अशोक में दो दिन (15-16 जनवरी) की कार्यशाला का आयोजन किया है। इस कार्यशाला का उदघाटन 15 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह करेंगे।

इस कार्यशाला में हमने 30 देशों , बहुपक्षीय विकास बैंकों , संयुक्त राष्ट्र की कई शाखाओं, निजी क्षेत्र के उपक्रमों, शिक्षाविदों और अन्य हितधारकों को इस विषय पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया है।

साथ हीं उन आठ राज्यों - जैसे कि गुजरात, तमिल नाडू , उत्तराखंड - को भी आमंत्रित किया गया है जहाँ आनेवाले समय में अवसंरचना के क्षेत्र में सबसे ज्यादा निवेश होने के आसार हैं। साथ हीं इन सभी राज्यों ने बीते कुछ समय में बड़ी आपदाओं का सामना किया है। यह भारत सरकार की सबको साथ लेकर चलने की नीति का एक उदाहरण मात्र है।

इसके अतिरिक्त इस कार्यशाला में भारत सरकार के सभी सम्बंधित मंत्रालय, जैसे कि ऊर्जा, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, नागरिक उड्डयन, पृथ्वी विज्ञान, इत्यादि भी हिस्सा लेंगे।

कार्यशाला के दौरान विशिष्ट तकनीकी सत्रों में बुनियादी ढांचे के ख़ास क्षेत्रों में जोखिम प्रबंधन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा होगी।

बिजली / ऊर्जा, दूरसंचार और परिवहन जैसे क्षेत्रों की अवसंरचनाओं पर विशेष रूप से चर्चा होगी। इन सार्वजनिक क्षेत्रों को इसलिए रेखांकित किया गया है क्यूंकि आपदाओं के दौरान इनको पहुँचनेवाला नुकसान बचाव और राहत कार्यों को बाधित करता है। इनका आपदा प्रतिरोधी होना न केवल बचाव, राहत और प्रतिक्रिया को बल देगा अपितु दीर्घावधि में यह सुनिश्चित करेगा की सरकारें पुनर्निर्माण में निवेश करने की बजाय संधारणीय विकास लक्ष्यों को पाने की दिशा में निवेश करें।

साथ हीं 'भौतिक' बुनियादी ढांचों के विकास , मौजूदा और अनुमानित जोखिमों के प्रमुख मुद्दे, आपदाओं के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामाजिक-आर्थिक प्रभावों, निवेश पारिस्थितिक तंत्र, नियामक , क्षेत्रीय भूमिकाएं और भविष्य के प्रस्तावों पर भी विस्तार से चर्चा होगी।

इसके अतिरिक्त प्रतिभागी बुनियादी आधारभूत संरचनानों के निर्माण में सीखी सर्वोत्तम प्रथाओं, प्रमुख चुनौतियों और पाठों पर भी विचारों का आदान-प्रदान करेंगे।

पुनर्निर्माण को कम न आंकते हुए एक विशिष्ठ सत्र इसके मूलभूत सिद्धांतों और "Build Back Better" यानि कि आपदा के बाद किये जाने वाले पुनर्निर्माण में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के नियमों के पालन पर भी रखी गयी है।

आपदा जोख़िमों को कम कर आपदा जोखिम न्यूनीकरण को मुख्य धारा में शामिल करने के प्रयत्नों में वित्तीय प्रावधानों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। परंपरागत रूप से, आपदाओं के वित्तीय प्रबंधन का ध्यान राहत कार्यों और पुनर्निर्माण तक सीमित था। सरकारों और अन्य सभी हितधारकों को अपनी व्यय योजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को महत्व देना होगा।चूंकि विकासशील देशों में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे सार्वजनिक संपत्ति की हिस्सा हैं , आवंटित धन का अधिकतम लाभ किस प्रकार लिया जाये, इसपर विचारों में सहमति बनाना भी इस कार्यशाला का एक प्रयोजन है।

हम आशान्वित हैं कि इस कार्यशाला से सभी प्रतिभागी संस्थाएं आपदा जोखिम न्यूनीकरण, आधारभूत संरचनाओं और सतत विकास के विषय पर आपसी सहमति और समन्वय बनाए में सफल होंगी। यह कार्यशाला महज़ एक शुरुआत भर है , भारत सरकार इस क्षेत्र में एक अग्रणी भूमिका निभाने की ओर अग्रसर है। इन मुद्दों पर यह वार्ता औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह से चलती रहेगी।

पृष्ठभूमि

पिछले दशक में विश्व के कुछ देशों में आपदा मृत्यु दर में नाटकीय कटौती देखी गई है, परन्तु आर्थिक नुकसान में वृद्धि विश्व के लगभग सभी देशों में जारी है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में वैज्ञानिक विकास, समय पर चेतावनी, नवीन प्रयोग, आपसी सहयोग और आपदा जोखिम के कारणों की बेहतर समझ से कुछ आपदाओं जैसे की चक्रवात इत्यादि से होनेवाले जान माल का नुकसान काफी हद तक कम कर लिया गया है। हमारे देश ने भी पिछले दशक के भीतर हीं इस मोर्चे पर सराहनीय प्रगति की है. 1999 में ओडिशा में आए शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात Paradip में लगभग 10,000 लोग मारे गए थे जबकि उसी राज्य में 2013 में आये समान तीव्रता के Phailin चक्रवात में हमारे शमन के प्रयासों और तैयारियों के कारण मृत्यु की संख्या पच्चीस से भी कम रह गयी । हालाँकि हम आपदाओं द्वारा होने वाली मृत्युओं की संख्या को कम करने में सक्षम हुए हैं, अब हमें बुनियादी आधारभूत ढांचों को आपदा प्रतिरोधी बनाने के लिए काम करना होगा।

जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया भर में आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता, विशेष रूप से बड़ी जल-मौसमविज्ञान संबंधी आपदाएं, बढ़ रही हैं। साथ ही इन आपदाओं से होनेवाले आर्थिक नुकसान भी बढ़ रहे हैं जो विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था के लिए एक गंभीर खतरा है । विकसित देश भी इससे अछूते नहीं हैं। संयुक्त राज्य अमरीका में 2017 में आये तूफ़ान हार्वे से तकरीबन 180 बिलियन अमरीकी डॉलरों का नुकसान हुआ जो की 2005 में आये कटरीना तूफ़ान के 160 बिलियन डॉलरों के मुकाबले कहीं ज्यादा था।

जापान के सेंडाइ में आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण के तीसरे विश्व सम्मेलन के दौरान 187 देशों द्वारा अपनाया गया सेंडाइ फ्रेमवर्क (2015-2030) (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction) जो कि 2015 के बाद के विश्वस्तरीय विकास के एजेंडे का पहला बड़ा समझौता है, और आपदा जोखिम को कम करने और विश्व को सतत विकास की ओर ले जाने वाले प्राथमिक कार्यों और लक्ष्यों को चिन्हित करता है। भारत भी इसमें निहित लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह फ्रेमवर्क न केवल नए बुनियादी आधारभूत संरचनाओं को आपदा प्रतिरोधी बनाने में निवेश बल्कि पुनर्निर्माण में भी आपदा प्रतिरोधकता के मानदंडों का पालन करने का हिमायती है।

इसी प्रकार, संधारणीय विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals/एसडीजी) के लक्ष्य 9 ने आपदा प्रतरोधी बुनियादी ढांचों को आर्थिक और सामजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माना है।

मज़बूत संरचनाएं आपदाओं के कारण बुनियादी ढांचों को पहुँचने वाले नुक़सान को कम करने के अलावा मृत्यु दर में कमी, प्रभावित लोगों की संख्या और आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से संबंधित लक्ष्यों को हासिल करने में भी सहायता करेंगी ।

भारत सरकार आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र और राज्य सरकारों के सभी सम्बंधित मंत्रालय, विभाग और अन्य इकाइयां सतत विकास और सभी नागरिकों के जीवन के सामाजिक और आर्थिक स्तर को बेहतर बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं। इसी कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2016 नवम्बर में नई दिल्ली में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के एशियाई मंत्री सम्मेलन में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए दस बिंदुओं को रेखांकित किया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि आधारभूत संरचनाओं, खासकर सार्वजनिक क्षेत्र के निर्माण में आपदा जोखिम प्रबंधन के सिद्धांतों का ध्यान रखा जाना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सभी विकास परियोजनाएं - हवाई अड्डे, सड़कें, नहर, अस्पताल, विद्यालय, पुल इत्यादि - उपयुक्त मानकों के साथ बनाई जाएंगी और हमारे नागरिकों की आपदाओं से जूझने की क्षमता को और मज़बूत आधार देंगी ।

साथ हीं उन्होंने यह ऐलान भी किया की भारत एशियाई क्षेत्र में ऐसे बुनियादी ढांचों को बढ़ावा देने के लिए अन्य देशों और हितधारकों के साथ एक गठबंधन बनाकर साथ काम करेगा। ऐसे गठबंधन अनुभव साझा कर खतरे के जोखिम मूल्यांकन, नई प्रौद्योगिकियों और वित्तीय प्रावधानों के विकास में मदद करेंगे।

आपदाएं भौगोलिक सीमाओं का मान नहीं करतीं, वे अक्सर कई राष्ट्रों को प्रभावित करती हैं । ऐसे आपदाओं के समय पूरा विश्व मदद के लिए आगे आता है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने वैश्विक स्तर पर भी ऐसे गठबंधन बनाए जाने की बात की जिससे की सामूहिक रूप से मिलकर सब आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए काम कर सकें और हाशिये पर खड़े अंतिम व्यक्ति तक भी विकास पहुंचे।

आगे आने वाले 10 वर्षों में भारत को ढांचागत क्षेत्र में करीब 1.5 ट्रिलियन डॉलर के निवेश की आवश्यकता है। भारत के लिए यह ज़रूरी है कि यह निर्माण आपदाओं को झेलने में सक्षम हो।

यह एक स्मार्ट रणनीति है, जो दीर्घकालिक फल देती है। अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों से पता चला है कि उपयुक्त बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए जितने निवेश की आवश्यकता होती है, वह एक बड़ी आपदा आने की स्थिति में साधारण ढांचों को पहुँचने वाले नुकसान की कुल लागत का केवल सात प्रतिशत है।

एशिया डेवलपमेंट बैंक की 2017 में प्रकाशित एक विशेष रिपोर्ट के मुताबिक एशिया में विकासशील देशों को अपने विकास की गति को बनाए रखने के लिए, गरीबी हटाने के लिए और जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान से बचने के लिए 2016 से 2030 तक 1.7 ट्रिलियन डॉलर प्रति वर्ष के निवेश की आवश्यकता होगी। इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपदा प्रतिरोधी आधारभूत संरचनाओं की आवश्यकता स्वयंसिद्ध है।

इस प्रेस नोट (और अन्य प्रेस विज्ञप्तियों) की सॉफ्ट कॉपी प्राप्त करने के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक पर जाएँ : http://ndma.gov.in/iwdri

अधिक जानकारी के लिए आप इन मोबाइल नम्बरों पर भी संपर्क कर सकते हैं -
97112 3269 9/8980 030713